न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ0 सौम्या झा,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 05 / 2021
प्रविष्टि दिनांक 26.07.2021

1–मदनलाल पुत्र रामेश्वर जाति गुर्जर निवासी लूनेरा तहसील निवाई जिला टोंक राज0
2–रामजीलाल पुत्र हरनाथ जाति गुर्जर निवासी लूनेरा तहसील निवाई जिला टोंक राज0
.....प्रार्थीगण

बनाम

1–कालू पुत्र भोरिया जाति नाई निवासी लूनेरा तहसील निवाई जिला टोंक राज0
2–भू–आवंटन सलाहकार समिति केम्प दहलोद जरिये एस.डी.ओ. निवाई जिला टोंक राज0
3–तहसीलदार निवाई जिला टोंक राज0
4–नायब तहसीलदार दत्तवास तहसील निवाई जिला टोंक राज0
..... अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) भू–आवंटन नियम 1970

उपस्थिति : (1) श्री दौलतराम चौधरी, अभिभाषक प्रार्थीगण
(2) श्री महेश शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

निर्णय **दिनांक 09.10.2024**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 02.02.1983 को प्रतिपक्षी संख्या–1 कालू पुत्र भोरिया को आ0ख0नं0 37 रकबा 5 बीघा भूमि वाके ग्राम लूनेरा तहसील निवाई में आवंटन किया गया है। प्रार्थीगण ने उक्त आवंटन को विधि विरूद्व एवं नियमों के प्रतिकूल बताते हुए आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस अप्रार्थीगण की गई। आवंटन सम्बन्धी पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब पेश किया कि भू आवंटन सलाहकार समिति केम्प दहलोद ने दिंनाक 02.02.83 को प्रतिपक्षी संख्या 1 के हक में आराजी खसरा नम्बर 37 रकबा 5 वीघा ग्राम लूनेरा तहसील निवाई मे विधिवत रूप से आवंटन किया गया है और आवंटन की तिथि से ही प्रतिपक्षी संख्या–1 उक्त आवंटन शुद्वा भूमि पर काबिज होकर काश्त करता रहा है। आवंटी द्वारा आवंटन हेतु प्रपत्र सही रूप से भरा गया था,जिससे उसको उक्त भूमि आवंटन की गई है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत रूप से सार्वजनिक रूप से घोषणा करते हुए आवंटन किया गया है। प्रार्थीगण ने दुर्भावना पूर्वक प्रतिपक्षी के पक्ष में हुए आवंटन को निरस्त करार दिये जाने हेतु यह आवेदन पेश किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा

जिला कलेक्टर
टोंक

गलत तथ्य अंकित किये गये है। आवंटी वर्तमान में भी जीवित है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिक प्रक्रिया के अनुसार सही रूप से आवंटन किया गया है। आवंटी को मौके पर आवंटन के पश्चात सुपुदर्गीनामा विधिक रूप से दिया जाकर मौके पर आवंटन शुद्वा भूमि पर कब्जा संभलाया गया था, जिसकी रूह से आवंटी मौके पर भूमि पर आवंटन की दिनांक से काबिज रहा है। आवंटन शुद्वा भूमि पर आवंटी आवंटन की दिनाक से मौके पर काबिज होकर काश्त करता रहा है। प्रार्थीगण ने यह आवेदन न्यायालय के समक्ष झूठे तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। आवंटन शुद्वा भूमि पर कभी भी प्रार्थीगण का कब्जा नहीं रहा है। मौके पर सुपुर्दगीनामा दिया गया था और उक्त भूमि पर प्रतिपक्षी का आवंटन की तिथि से लगातार कब्जा काश्त रहने के कारण प्रतिपक्षी को उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार दिये गये थे। आवंटन शुद्वा भूमि प्रतिपक्षी की खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही थी, जिसको प्रतिपक्षी द्वारा दिनाक 22.02.2021 को बहैसियत खातेदार,काबिज काश्तकार होने से उक्त आराजी को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनाक 22.02.2021 को बिलएवज मुबलिग 3,81,000 रूपये में क्रेतागण पांची देवी पत्नि गोरधन गुर्जर व दांखा देवी पत्नि हरीनारायण गुर्जर निवासी ग्राम लूनेरा तहसील निवाई को विक्रय करके सम्पूर्ण राशि क्रेतागण से प्राप्त कर मौके पर कब्जा मालिकाना उक्त क्रेतागण को संभला दिया था, उक्त पांची देवी व दांखा देवी भूमि पर दिनांक 22.02.2021 से मौके पर बहैसियत मालिक,स्वामी व खातेदार के रूप में काबिज है।

प्रकरण मे अभिभाषक प्रार्थीगण एंव अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–1 की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया है कि भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा केम्प दहलोद मे दिनाक 02.02.1983 को प्रतिपक्षी संख्या 1 के हक में आराजी खसरा नम्बर 37 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम लूनेरा तहसील निवाई मे आवंटन करने का आदेश पारित किया है। प्रतिपक्षी संख्या–1 ने उक्त आवंटन वास्तविक तथ्यों को छिपाकर छल–कपट के आधार पर प्राप्त किया है। आवंटन के प्रार्थना पत्र मे कॉलम संख्या 1 ता. 5 को खाली छोडा गया है तथा प्रतिपक्षी संख्या–1 का सत्यापन अधूरा है,किस तारीख को पेश हुआ, इसका हवाला भी नहीं है तथा प्रतिपक्षी जो कि अनपढ है उसका अंगूठा तक भी उक्त प्रार्थना पत्र पर नहीं है तथा उक्त फार्म पर न तो स्थान अंकित है और ना ही दिनाक अंकित है। आवंटन आदेश पारित करने से पूर्व आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियमों की पूर्ण रूप से पालना नहीं की है।भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनाक 02.02.1983 को बिना उद्घोषणा जारी किये मौका रिपोर्ट लिये बिना ही प्रतिपक्षी संख्या–1 को ख0न0 37 मे 5 बीघा का आवंटन किया गया है। पटवारी ने भी अपनी मनमर्जी से मौके की वास्तविक कब्जे की स्थिति के विपरीत जाकर रिपोर्ट दी है,जबकि आवंटन के दिन भूमि रिक्त या प्रतिपक्षी संख्या 1 के पक्ष में आवंटन योग्य नहीं थी। कालू पुत्र भोरया नाई निवासी लूनेरा नाम का कोई भी व्यक्ति ग्राम लूनेरा में नहीं रहता है।हल्का पटवारी ने आवंटी के पास आवंटन से पूर्व उसके परिवार मे कितनी जमीन है का भी उल्लेख नही किया है। आवंटन सलाहकार समिति की कोरम पूर्ण नहीं है और अपूर्ण कोरम द्वारा उक्त भूमि आवंटन की गई है। आवंटन आदेश पर तहसीलदार के हस्ताक्षर नही है। आवंटित भूमि सुपुर्दगी मे आवंटी को ना दी जाकर पिता को दी गई है। मौके पर आवंटन के समय उक्त भूमि रिक्त नहीं थी। खसरा नम्बर 37

जिला कलेक्टर
टोंक

रकबा 5 बीघा बाके ग्राम लूनेरा तहसील निवाई पर वर्षों से मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। आवंटी का आवंटन भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। आवंटी ने आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की है। प्रार्थीगण ने इस भूमि को काफी मेहनत व धन खर्च करके काश्त योग्य बनाया है तथा इसकी पेदावार से अपना व परिवार का जीवन–यापन कर रहा है। तथाकथित जगदीश पुत्र भूरा सेन निवासी कायमनगर बासडी का है जिसके आधार नम्बर 281071059712 है। जगदीश पुत्र भूरा सेन इसी आधार नम्बर पर कालू पुत्र भूरा निवासी कायमनगर बासडी बन गया तथा हाल निवासी लूनेरा बनकर उक्त आराजी का मालिक बन गया।जबकि आवंटन आदेश में कालू पुत्र भोरया निवासी लूनेरा का अंकन है। वास्तव में इस नाम का कोई व्यक्ति ग्राम लूनेरा में नहीं है। न्यायालय हाजा द्वारा जारी नोटिस कि पुश्त पर तामिल कुन्निदा ने भी इस नाम का (आवंटी) व्यक्ति ग्राम लूनेरा मे निवास नही करता है कि रिपोर्ट अंकित की है। सरपंच ग्राम पंचायत श्रीरामपुरा पंचायत समिति निवाई ने भी जगदीश पुत्र भूरा सैन को ग्राम लूनेरा ग्राम पंचायत श्रीरामपुरा का निवासी नही माना है। सरपंच ग्राम पंचायत महापुरा ऊर्फ तुर्किया पंचायत समिति निवाई ने जगदीश पुत्र भूरा सैन को ग्राम कायमनगर ग्राम पंचायत तुर्किया का निवासी माना है। जगदीश पुत्र भूरा व कालू पुत्र भूरा का एक ही आधार नम्बर है। आवंटन से पूर्व आवंटी के पिता के पास 4 है. से अधिक भूमि थी। आवंटन अगर आवंटी द्वारा तथ्यो को छीपाकर करवाया गया हो तो खातेदारी अधिकार मिलने के बाद भी आवंटन को निरस्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने एक फोजदारी कार्यवाही भी पुलिस थाना दत्तवास में कर रखी है।जिसका एफ.आई.आर नम्बर 104/2021 थाना दत्तवास है।इस प्रकार उक्त आवंटन फर्जी रूप से करवाया गया है। अतः आवंटन निरस्त योग्य है। अभिभाषक प्रार्थीगण ने न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी.1998 पृष्ठ संख्या 589 व आर.आर.टी 2024(1) पृष्ठ संख्या 368 उद्धरित किये है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–1 ने जवाबी बहस मे कथन किया कि भू– आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 को आ0ख0न0 37 मे रकबा 5 बीघा वाके ग्राम लूनेरा मे नियमानुसार आवंटन की गई है। आवंटित भूमि प्रतिपक्षी की खातेदारी मे दर्ज है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की गई है। प्रार्थीगण मेरी कमी का फायदा नही ले सकते है। प्रार्थीगण प्रकरण मे व्यथित व्यक्ति नही है। प्रार्थीगण को आवेदन/प्रकरण को प्रस्तुत करने का अधिकार नही है। कालू को आवंटन दिनांक 02.02.1983 को हुआ है।प्रार्थीगण ने आवंटन निरस्त करवाने हेतु दिनांक 26.07.2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण ने आवंटन निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र लगभग 38 वर्ष बाद पेश किया है। प्रार्थीगण द्वारा इतने समय बाद क्यो आवंटन को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। पुलिस थाना दत्तवास मे दर्ज प्रकरण मे बाद जांच एफ.आर लग गई है। प्रकरण से संबंधित वाद न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रेक) निवाई के समक्ष बाबत वाद स्थाई निषेधाज्ञा एंव आज्ञापक जेरकार है। खातेदारी मिलने के बाद आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है। प्रार्थीगण का आवंटन के समय उक्त भूमि पर कब्जा भी था तो वह अवैधानिक रूप से था। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि को आवंटन करवाने हेतु भू–आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया है और ना ही तत्समय कोई आपत्ति की है।

न्यायालय जिला कलेक्टर

जिला कलेक्टर
टोंक

अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–1 ने न्यायिक दृष्टांत 2019 आर.आर.टी.(2) पृष्ठ संख्या 838,2021 आर.आर.टी (2) पृष्ठ संख्या 1029, 2020 आर.आर.टी (2) पृष्ठ संख्या 760, 2021 आर.बी.जे पृष्ठ संख्या 747 व 2023 आर.बी.जे पृष्ठ संख्या 315 उद्धरित किये है।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं आवंटन पत्रावली और अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आवंटन पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि अप्रार्थी संख्या–1 कालू पुत्र भोरिया जाति नाई निवासी लूनेरा को भू–आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा दिनाक 02.02.1983 को केम्प दहलोद मे ख0न0 37 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम लूनेरा मे आवंटन किया गया है।

अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थीगण मेरी कमी का फायदा नही ले सकते है। प्रार्थीगण प्रकरण मे व्यथित व्यक्ति नही है। प्रार्थीगण को आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार नही है। कालू को आवंटन दिनांक 02.02.1983 को हुआ है। प्रार्थीगण ने आवंटन निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र लगभग 38 वर्ष बाद पेश किया है और साथ ही अपने जवाब मे दिनाक 22.02.2021 को बहैसियत खातेदार,काबिज काश्तकार होने से आवंटी ने उक्त आराजी को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनाक 22.02.2021 को क्रेतागण पांची देवी व दांखा देवी विक्रय करके मौके पर कब्जा मालिकाना उक्त क्रेतागण को संभला दिया था का उल्लेख किया है,परन्तु राज.भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के बिन्दू संख्या–14 के बिन्दू (4) मे ''कलेक्टर को उपखण्ड अधिकारी द्वारा (या नियम 21 द्वारा निरसित नियमो के अधीन तहसीलदार द्वारा) किये गये किसी भी आवंटन को या तो स्व–प्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन–पत्र पर निरस्त करने की शक्ति होगी,यदि आवंटन कपट अथवा मिथ्याव्यपदेशन के द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमो के विरूद्व किया गया हो या यदि आवंटी ने आवंटन की शर्तो मे से किसी भी शर्त को भंग किया हो:परन्तु किसी व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला ऐसा आदेश उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित नही किया जायेगा'' का उल्लेख है।

अभिभाषक प्रार्थीगण तर्क है कि प्रतिपक्षी संख्या–1 ने उक्त आवंटन वास्तविक तथ्यों को छिपाकर छल–कपट के आधार पर प्राप्त किया है। भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनाक 02.02.1983 को बिना उद्घोषणा जारी किये मौका रिपोर्ट लिये बिना ही प्रतिपक्षी संख्या–1 को ख0न0 37 मे 5 बीघा का आवंटन किया गया है। कालू पुत्र भोरया नाई का कोई भी व्यक्ति ग्राम लूनेरा में नहीं रहता है। हल्का पटवारी ने आवंटी के पास आवंटन से पूर्व उसके परिवार मे कितनी जमीन है का भी उल्लेख नही किया है। आवंटन आदेश पर तहसीलदार के हस्ताक्षर नही है। आवंटित भूमि सुपुर्दगी मे आवंटी को ना दी जाकर पिता को दी गई है। आवंटी का आवंटन भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। न्यायालय हाजा द्वारा जारी नोटिस कि पुश्त पर तामिल कुन्निदा ने भी इस नाम का (आवंटी) व्यक्ति ग्राम लूनेरा मे निवास नही करता है कि रिपोर्ट अंकित की है। सरपंच ग्राम पंचायत श्रीरामपुरा पंचायत समिति निवाई ने भी जगदीश पुत्र भूरा सैन को ग्राम लूनेरा ग्राम पंचायत

जिला कलेक्टर
टोंक

श्रीरामपुरा का निवासी नही माना है और सरपंच ग्राम पंचायत महापुरा ऊर्फ तुर्किया पंचायत समिति निवाई ने जगदीश पुत्र भूरा सैन को ग्राम कायमनगर ग्राम पंचायत तुर्किया का निवासी माना है। जगदीश पुत्र भूरा व कालू पुत्र भूरा का एक ही आधार नम्बर है। आवंटन से पूर्व आवंटी के पिता के पास 4 है. से अधिक भूमि थी। आवंटन अगर आवंटी द्वारा तथ्यो को छीपाकर करवाया गया हो तो खातेदारी अधिकार मिलने के बाद भी आवंटन को निरस्त किया जा सकता है।

राज.भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के बिन्दू संख्या–12 मे (इन नियमो मे यथा उपबन्धित के सिवाय,आवंटित की जाने वाली भूमि की सीमा) (4 हैक्टर) से अधिक नही होगी,किन्तु शर्त यह होगी कि किसी भी दशा मे इन नियमो के अधीन आवंटित किये जाने वाले कुल क्षेत्र,आवंटी द्वारा पहले से ही धारित क्षेत्र या उसके काल्पनिक अंश,यदि भूमि संयुक्त परिवार के अन्य सदस्यो द्वारा धारित हो,को मिला कर (4 हैक्टर) से अधिक नही होगा।
(स्पष्ट्रीकरण–इस नियम मे एक (हैक्टर) सिचिंत भूमि को दो(हैक्टर) असिंचित भूमि के बराबर माना जायेगा)''का उल्लेख है।

अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 03.09.2024 को प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।दस्तावेजात का अवलोकन करने से विदित होता है कि आवंटी ग्राम लूनेरा का निवासी ना होकर कायमनगर बासडी का निवासी होने बाबत साक्ष्य के रूप मे सरपंच ग्राम पंचायत श्रीरामपुरा पंचायत समिति निवाई/सरपंच ग्राम पंचायत महापुरा ऊर्फ तुर्किया पंचायत समिति निवाई का लेटर पेड, आवंटी का आधार कार्ड, मतदाता सूचि ग्राम कायमनगर ऊर्फ बासडी,जन आधार कार्ड, जोब कार्ड, राशन–कार्ड आदि की छाया–प्रतियां पेश की है। न्यायालय हाजा द्वारा जारी अप्रार्थी संख्या–1(आवंटी) के नोटिस की पुश्त पर भी तामिल कुन्निदा ने कालू पुत्र भोरिया को ग्राम लूनेरा का निवासी नही माना है और पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात वाके ग्राम कायमनगर तहसील निवाई मे आवंटी के पिता भोरिया पुत्र रूधनाथ के नाम नकल जमाबंदी सम्वत 2034–2037 के खाता संख्या 30 रकबा 6 बीघा सम्पूर्ण असिचिंत,खाता संख्या 31 रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा मे हिस्सा 1/4(5 बीघा 8 बिस्वा मे से 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि सिचिंत शेष असिचिंत),खाता संख्या 32 रकबा 5 बीधा मे से हिसा 1/8(12 बिस्वा असिचिंत)खाता संख्या 33 रकबा 13 बिस्वा हिस्सा 1/8(2 बिस्वा असिचिंत),खाता संख्या 34 रकबा 3 बिस्वा मे से हिस्सा 1/5 तथा वाके ग्राम लूनेरा तहसील निवाई मे आवंटी के पिता भोरिया पुत्र रूधनाथ के नाम नकल जमाबंदी सम्वत 2039–2042 के खाता संख्या 150 रकबा 3 बीधा असिचिंत सम्पूर्ण उक्त जमाबंदी का अवलोकन करने से विदित होता है कि आवंटी के पिता के नाम आवंटन से पूर्व दोनो ग्रामो मे कुल 13 बीघा 11 बिस्वा असिचिंत व ''1 बीघा 11 बिस्वा सिचिंत होने से नियमानुसार भूमि की गणना करने पर 3 बीघा 2 बिस्वा असिचिंत भूमि होती है।'' इस प्रकार आवंटी के पिता के खाते मे आवंटन से पूर्व कुल 16 बीघा 13 बिस्वा भूमि दर्ज होना सिद्व है। राज.भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के बिन्दू संख्या–12 के अनुसार किसी भी दशा मे इन नियमो के अधीन आवंटित किये जाने वाले कुल क्षेत्र,आवंटी द्वारा पहले से ही धारित क्षेत्र या उसके काल्पनिक

जिला कलेक्टर
टोंक

अंश,यदि भूमि संयुक्त परिवार के अन्य सदस्यो द्वारा धारित हो,को मिला कर (4 हैक्टर) से अधिक नही होगा,परन्तु आवंटी के पिता के नाम आवंटन से पूर्व ही 4 हैक्टर भूमि से अधिक भूमि है।

अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी.1998 पृष्ठ संख्या 589 में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने प्रकरण संख्या 73/बाड़मेर उनवान सतिया बनाम राजस्थान राज्य(223) निर्णय दिनांक 24.06.1998 में अंकित है कि "Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes Rules) 1970 Rule 14(4) Rajasthan Tenancy Act, Section 63(1)(ix)-RAA-Appeal-Held allottee obtained allotment showing himself landless when he is a recorded khatedar of 75 bigha Barani III land as per Jamabandi of St. 2023-26-Khatedari rights obtainded after 10 yrs. – Allotment cancelled in view of amended Sec. 63(1)(ix)- of R.T. Act newly added on 26-03-1997-Concurrent findings of the courts below held justified and confirmed. APPEAL DISMISSED" तथा उक्त निर्णय के पेरा संख्या 6 में अंकित किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में उपधारा 9 राजस्थान काश्तकारी संशोधन अधिनियम 1957 (Sic 1997) जो राजस्थान राजपत्र एक्स्ट्रा पार्ट 4(ए) में दिनांक 26.03.1997 को प्रकाशित किया गया हैं जो निम्नानुसार है–

The Rajasthan Tenancy (Amendment) Act, 1997

2- Amendment of Section 63, Rajasthan Act No- 3 of 1955

(ix) if the allotment of land is cancelled or the land is ordered to be resumed under the provisions of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act No- 15 of 1956) or Rules framed thereunder or under any other law for the time being in force." आवंटन वर्ष 1976 में होने के समय अपीलान्ट के खाते में जमाबन्दी एक्जीबिट–1 संवत 2023 लगायत 2026 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर–107/1 रकबा 75 बीघा बारानी–3 लगानी 4 रुपये 50 पैसे वाके ग्राम चक गंगा में थी तो वह भूमिहीन काश्तकार नहीं था। उसने इस तथ्य को अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित नहीं किया अन्यथा उसके खाते में 75 बीघा होते हुये भी उसे विवादग्रस्त आराजी आवंटित नहीं की जा सकती थी।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने प्रकरण संख्या 6909/श्री गंगानगर/2012 उनवान Chandra Kala vs. State निर्णय दिनांक 02-01-2024 में अंकित है कि "Rajasthan Colonisation (Allotment and Sale of Government Land in Indira Gandhi Canal Colony Project Area) Rules, 1975-Rule 23(2)-On application of non-petitioner No. 1, allotment made in favour of the non-petitioner was cancelled-Khatedari sanad issued to non- petitioner No. 2 and he sold the land to non-petitioner No. 3 and he sold the land to the petitioner-Non-petitioner No. 2 obtained the allotment after concealing material fact-Purchasers have no right after cancellation of allotment of land to original allottee-Held, Order rejecting allotment is justified."

राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975–नियम 23 (2)– अप्रार्थी सं. 1 के प्रार्थना–पत्र पर अप्रार्थी के पक्ष में किया आवंटन निरस्त किया–अप्रार्थी सं. 2 को खातेदारी सनद जारी की और उसने भूमि

जिला कलेक्टर
टोंक

अप्रार्थी सं. 3 को बेचान की और उसने भूमि प्रार्थीया को विक्रय की अप्रार्थी सं. 2 ने तात्विक तत्वों को छिपाने के बाद आवंटन प्राप्त किया–मूल आवंटी को भूमि का आवंटन निरस्त होने के बाद क्रेतागण को अधिकार नहीं है–निर्णीत, आवंटन निरस्त करने का आदेश न्यायसंगत है।

प्रकरण पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि आवंटन वर्ष 1983 में होने के समय अपीलान्ट के पिता के खाते में जमाबन्दी चौसाला संवत 2024–2037 व 2039–2042 के अनुसार कुल 16 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम कायमनगर/लूनेरा में थी तो तत्समय आवंटी भूमिहीन काश्तकार नहीं था। आवंटी ने इस तथ्य को अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित नहीं किया अन्यथा उसके पिता के खाते में 16 बीघा 13 बिस्वा भूमि होते हुये भी उसे विवादग्रस्त आराजी आवंटित नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या–1 (आवंटी) ने फर्जी तरीके से विवादग्रस्त भूमि का आवंटन करवाया है। आवंटन के पश्चात भूमि का एक बार हस्तान्तरण हो चुका है। अतः अप्रार्थी संख्या–1 ने आवंटन सलाहाकार समिति से तथ्य छुपाकर उक्त आवंटन करवाया गया है। ऐसी स्थिति मे आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर कालू पुत्र भोरिया जाति नाई निवासी लूनेरा तहसील निवाई जिला टोंक को दिनांक 02.02.1983 को ग्राम लूनेरा के साबिक आराजी खसरा नम्बर 37 में से रकबा 5 बीघा भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर राजस्थान